न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 162/2021

उनवान

1. राम सिंह
2. गुमान सिंह पि0 दुला जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीरबाद

–– वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 06/5/24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोलादांता बुबानिया में वादीगण के पिता की कयशुदा आराज सिति है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वंकिंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1120	0.57	654	0.57

उपरोक्त आराजी वादी के पिता ने जरियें विकय पत्र नींबूमल व गल्लूमल पि लखूमल जाति सिंधी से दिनांक 07.09.1977 को कय की थी। वंकिंग जमाबंदी में नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी की जाति रावत के स्थान पर त्रुटिपूर्ण तरीके से सिंधी अंकित कर दी। जबकि विकय पत्र व वास्तव में वादीगण के पिता की जाति रावत ही है। अतः आराजी मुतनाजा में वादीगण के पिता की जाति सिंधी के स्थान पर रावत अंकित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये। तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। राज0 पैरोकार [illegible] पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया, [illegible] राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.57 दुला पुत्र [illegible] जाति सिंधी के नाम दर्ज है। उक्त आराजी के वंकिंग खसरा नम्बर 1120 रकबा 3–10 [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:22:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली में प्रस्तुत विकय पत्र अनुसार नींबूमल व गल्लूमल पि लखूमल जाति सिंधी से दिनांक 07.09.1977 को दुला पुत्र हमीरा जाति रावत ने उक्त आराजी कय की है। वंर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 1120 रकबा 3–10–0 दुला पुत्र हमीरा जाति सिंधी के नाम दर्ज कर दिया। उक्तानुसार स्पष्ट है कि वादीगण के पिता की जाति रावत है किन्तु वंर्किग जमाबंदी व तत्पश्चात हाल राजस्व अभिलेख में त्रूटिपूर्ण तरीके से सिंधी अंकित कर दी है। वादी द्वारा प्रस्तुत छसतावेज ये वाद के कथनों की ताईद होती है।

उक्तानुसार ग्राम धोलादांता बुबानिया के हाल खसरा नम्बर 654 रकबा 0.57 की आराजी पर वादीगण का "**स्वीकार**" किया जाता है। उक्त आराजी पर खातेदार दुला पुत्र हमीरा की जाति सिंधी के सािन पर रावत दर्ज की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उकतानुसार अमल दराम की कार्यवाही करावे। पक्षकार पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:22:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

राम सिंह बनाम राज0 सरकार

दावा बावत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 162/2021
पेश करने की दिनांक – 13.12.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चोधरी मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम धोलादांता बुबानिया के हाल खसरा नम्बर 654 रकबा 0.57 की आराजी पर वादीगण का **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर खातेदार दुला पुत्र हमीरा की जाति सिंधी के सीिन पर रावत दर्ज की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार अमल दराम की कार्यवाही करावे। पक्षकार पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:22:21 IST
Reason: SelfAttested